24

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 95/2018

दायर दिनांक–05.07.2018

1. जड़ाव पुत्री गणेशाराम
2. बिदामी पुत्री गणेशाराम
3. ज्याना पुत्री गणेशाराम
4. महाकोरी पुत्री गणेशाराम समस्त जाति जाट निवासी गढवालों की ढाणी तन खिरोड़ तहसील नवलगढ।
5. भंवरी देवी पुत्री माली पिता लक्ष्मण
6. संगीता पुत्री माली पिता लक्ष्मण
7. तारामणी पुत्री माली पिता लक्ष्मण समस्त जाति जाट निवासी कुलड़ियों की ढाणी तन खिरोड़ तहसील नवलगढ़।

–वादी

बनाम

1. फुलचन्द पुत्र गणेशाराम
2. लालचन्द पुत्र गणेशाराम
3. ताराचन्द पुत्र गणेशाराम
4. घोठी पत्नी स्व0 श्री प्रभातराम
5. महेन्द्र पुत्र स्व. श्री प्रभातराम
6. रामनिवास पुत्र स्व0 श्री प्रभातराम
7. बिमला पुत्री स्व0 श्री प्रभातराम
8. परमेश्वरी पुत्री स्व0 श्री प्रभातराम
9. सोहनी पुत्री स्व0 श्री प्रभातराम समस्त जाति जाट निवासीगण गढ़वालों की ढाणी तन खिरोड़ तहसील नवलगढ़।
10. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – **श्री सज्जन कुमार चाहर**
वकील प्रति. :– **एकपक्षीय**

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा
व दुरूस्ती रिकॉर्ड

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 16.06.2023

वादिगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :– राजस्व ग्राम खिरोड़ तहसील नवलगढ़ की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 832 पुराना 855 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 1012 रकबा 0.03 है0 भूमि खसरा नम्बर 1050 रकबा 0.023 है0 खसरा नम्बर 1059 रकबा 0.04 है0 खसरा नम्बर 2717/1013 रकबा 0.27 है0 खसरा नम्बर 2724/1096 रकबा 1.50 है0 खसरा नम्बर 911 रकबा 0.78 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 2.85 है0 स्थित है। उक्त भूमि वादियागण व प्रतिवादीगण की पैत्रिक कृषि भूमि है। ग्राम खिरोड़ में वादिया व प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 3 का सजरा वाद पत्र की धारा 2 में दर्ज है। सजरा अनुसार स्व0 गणेशाराम के वैध उत्तराधिकारी वादिया[illegible] संख्या 1 लगायत 3 है। उपरोक्त वर्णित सम्पूर्ण कृषि भूमि का स्व0 गणेशाराम खातेदार [illegible]तका[illegible] । स्व0 गणेशाराम के देहान्त होने पर गणेशाराम के चार पुत्र प्रभात, फुलच[illegible] राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया परन्तु गणेशाराम की पुत्रियां माली, महाको[illegible] का नाम राजस्व रिकॉर्ड [illegible] नही हुआ। माली, महाकोरी, ज्याना, बिदामी व जड़ाव गणेशाराम [illegible]जायन्दा पुत्रियां है जो वा[illegible] गणेशाराम की सम्पति की वैध उत्तराधिकारी है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पुत्रियां पि[illegible] सम्पति की प्रथम उत्तराधिकारी होती है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड प्रभात, फुलचन्द ताराचंद व लालचंद के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.08.15 09:09:11 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ़

से ही दर्ज कर दिया जो गलत दर्ज होने से उक्त वाद रिकॉर्ड दुरुस्ती का श्रीमान की सेवामें पेश करना आवश्यक हुआ है। गणेशाराम की मृत्यु के पश्चात नामान्तकरण गणेशाराम की सम्पति में गणेशाराम की पुत्री व पुत्र में बराबर बराबर 1/9 हक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए था परन्तु राजस्व कर्मचारियों की गलती के कारण गणेशाराम के वैध उत्तराधिकारियों में से माली, महाकोरी, ज्याना, बिदामी व जड़ाव का नाम छोड़कर प्रभात, फुलचंद, ताराचंद व लालचंद के नाम राजस्व रिकॉर्ड में हिस्सा दर्ज कर दिया गया जो कि पूर्ण रूप से गलत दर्ज कर दिया गया जो कि कानूनन गलत है जबकि गणेशाराम के फौत होने के पश्चात उनके 9 वारिसानों का नामान्तकरण दर्ज होना चाहिए था। इस प्रकार स्व0 गणेशाराम की सम्पति में वादिया 1 लगायत 4 का 1/9–1/9 हिस्सा होता है तथा वादियागण नं0 5 लगायत 7 का 1/27–1/27 हिस्सा होता है तथा प्रतिवादी सं0 1 फुलचंद का 1/9, प्रतिवादी संख्या 2 लालचंद का 1/9, प्रतिवादी सं0 3 ताराचंद का 1/9, प्रतिवादी सं0 4 लगा0 9 का 1/9 हिस्सा यानि प्रत्येक का 1/54–1/54 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें तथा इसी हिस्से अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किया जावें।

अतः वाद पत्र पेशकर निवेदन है कि:– वाद पत्र बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर राजस्व ग्राम खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनूं की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 832 पुराना 855 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 1012 रकबा 0.03 है0 भूमि खसरा नम्बर 1050 रकबा 0.023 है0 खसरा नम्बर 1059 रकबा 0.04 है0 खसरा नम्बर 2717/1013 रकबा 0.27 है0 खसरा नम्बर 2724/1096 रकबा 1.50 है0 खसरा नम्बर 911 रकबा 0.78 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 2.85 है0 भूमि में वादियागण सं0 1 लगायत 4 का 1/9–1/9 हिस्सा होता है तथा वादियागण नं0 5 लगायत 7 का 1/27–1/27 हिस्सा होता है तथा प्रतिवादी सं0 1 फुलचंदका 1/9, प्रतिवादी सं0 2 लालचंद का 1/9, प्रतिवादी सं0 3 ताराचंद का 1/9 तथा प्रतिवादी सं0 4 लगायत 9 का 1/9 हिस्सा यानि प्रत्येक का 1/54–1/54 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा घोषित खातेदारी के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त कर अलग अलग जमाबंदी कायम की जावें जिसके लिए प्रतिवादी सं0 10 को तहरीर जारी हो।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने बाद अवलोकन दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 01 व 10 की तामिल सम्यक रूप होने पर इनके ओर से कोई उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण की ओर से एकपक्षीय कार्यवाही होने पर प्रकरण में विवाद्यक बनाये जाने की आवश्यकता नही रह जाती है।

साक्ष्य वादी में स्वयं वादी तारामणी, ज्याना देवी, महाकोरी, संगीता व बिदामी उपस्थित होकर चीफ का सपथ पत्र पेश किये तथा अपने वाद–पत्र के संबंध में प्रदर्श 1 नकल जमाबंदी संवत 2075–2078, प्रदर्श 2 नकल जमाबंदी संवत 2067–2070 आदि दस्तावेजात प्रदर्शित करवायें।

शहादत वादी पेश होने के पश्चात बहस वकील वादी सुनी गई। बहस व तथ्यों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार राजस्व ग्राम खिरोड़ की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 832 पुराना 855 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 1012 रकबा 0.03 है0 भूमि खसरा नम्बर 1050 रकबा 0.023 है0 खसरा नम्बर 1059 रकबा 0.04 है0 खसरा नम्बर 2717/1013 रकबा 0.27 है0 खसरा नम्बर 2724/1096 रकबा 1.50 है0 खसरा नम्बर 911 रकबा 0.78 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 2.85 है0 भूमि में वादियागण सं0 1 लगायत 4 का 1/9–1/9 हिस्सा होता है तथा वादियागण नं0 5 लगायत 7 का 1/27–1/27 हिस्सा होता है तथा प्रतिवादी सं0 1 फुलचंदका 1/9, प्रतिवादी सं0 2 लालचंद का 1/9, प्रतिवादी सं0 3 ताराचंद का 1/9 तथा प्रतिवादी सं0 4 लगायत 9 का 1/9 हिस्सा यानि प्रत्येक का 1/54–1/54 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा घोषित खातेदारी के अनुसार दुरुस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती करना आवश्यक व न्यायोचित है। अतः वाद वादीगण न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.08.15 09:09:11 IST
Reason: SelfAttested

:: आदेश ::

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके ग्राम खिरोड़ की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 832 पुराना 855 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 1012 रकबा 0.03 है0 भूमि खसरा नम्बर 1050 रकबा 0.023 है0 खसरा नम्बर 1059 रकबा 0.04 है0 खसरा नम्बर 2717/1013 रकबा 0.27 है0 खसरा नम्बर 2724/1096 रकबा 1.50 है0 खसरा नम्बर 911 रकबा 0.78 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 2.85 है0 भूमि में वादियागण सं0 1 लगायत 4 का 1/9–1/9 हिस्सा होता है तथा वादियागण नं0 5 लगायत 7 का 1/27–1/27 हिस्सा होता है तथा प्रतिवादी सं0 1 फुलचंदका 1/9, प्रतिवादी सं0 2 लालचंद का 1/9, प्रतिवादी सं0 3

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

26

ताराचंद का 1/9 तथा प्रतिवादी सं0 4 लगायत 9 का 1/9 हिस्सा यानि प्रत्येक का 1/54–1/54 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा घोषित खातेदारी के अनुसार भूमि के राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्ती के आदेश तहसीलदार नवलगढ़ को दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 16.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
ए. सी. ई. एम. (का/ट्रे.)
नवलगढ़
सहायक कलक्टर व
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.08.15 09:09:11 IST
Reason: SelfAttested

27

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ मुकाम
बईजलास नवलगढ़ दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा
व रिकार्ड दुरूस्ती

मुकदमा सं0:–95/2018

(जड़ाव बनाम फुलचंद आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कवंर** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुददई रूबरू मुददालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 16.06.2023 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम खिरोड़ की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 832 पुराना 855 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 1012 रकबा 0.03 है0 भूमि खसरा नम्बर 1050 रकबा 0.023 है0 खसरा नम्बर 1059 रकबा 0.04 है0 खसरा नम्बर 2717/1013 रकबा 0.27 है0 खसरा नम्बर 2724/1096 रकबा 1.50 है0 खसरा नम्बर 911 रकबा 0.78 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 2.85 है0 भूमि में वादियागण सं0 1 लगायत 4 का 1/9–1/9 हिस्सा होता है तथा वादियागण नं0 5 लगायत 7 का 1/27–1/27 हिस्सा होता है तथा प्रतिवादी सं0 1 फुलचंदका 1/9, प्रतिवादी सं0 2 लालचंद का 1/9, प्रतिवादी सं0 3 ताराचंद का 1/9 तथा प्रतिवादी सं0 4 लगायत 9 का 1/9 हिस्सा यानि प्रत्येक का 1/54–1/54 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा घोषित खातेदारी के अनुसार रिकॉर्ड दुरूस्ती के आदेश तहसीलदार नवलगढ़ को दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे
जिन...........–............ मुबलिग...........–............बाबत......–...........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....–....... फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.........का अदा करे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 16.06.2023 को जारी की गई।

(दमयंती कवंर)
ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ़

मुद्दई	रूपया पैसे	मुददासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	06.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	04.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.08.15 09:09:11 IST
Reason: SelfAttested